फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सुदर्शन कुमार बनाम छोगा वगैरह

किस्म अपील .225.आर.टी.एक्ट

राजस्व अपील संख्या 50 सन.....2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.07.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 42/2011, 82/2011 बउनवान खाना उर्फ खानसिंह बनाम छोगा वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 14.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये विधिवत बेचान खरीद की है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे जैर अपील आदेश पारित किये हुए 12 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। जबकि आदेश 39 नियम 03 की पालना के तहत एकपक्षीय अंतरिम आदेश का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध एकपक्षीय जैर अपील अंतरिम व्यादेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांटगण अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। जिससे अपीलांटगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश दिनांक 14.03.2011 पारित कर वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने का प्रावधान है। इस संबध मे आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण मे पूर्णतया चस्पा होते है। अत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 42/2011, (82/2014) बउनवान खाना उर्फ खानसिंह बनाम छोगा वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 14.03.2011 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद एवं मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक लंबित है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल हक–हकूको का निस्तारण मूल वाद एवं प्रार्थना के अन्तर्गत अंतिम निस्तारण के पश्चात निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थिति मे उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

तद्नुसार सहायक कलक्टर सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व विविध प्रकरण संख्या 42/2011, (82/2014) बउनवान खाना उर्फ खानसिंह बनाम छोगा वगैरा के अन्तर्गत उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

अधि... पाला